संख्या-18/2022/47-4001(099)/2/2022-1/3/96

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2022

विषयः-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 15 जून, 2022 एवं शासनादेश संख्या-15/2022/525/सा0/47-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2022-23 में समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण/तैनाती हेतु निम्नवत व्यवस्था की जायः-

1. समूह 'क' एवं 'ख' संवर्ग में नई नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के प्रकरणों में यदि सम्बंधित कार्मिक को रिक्त स्थान पर तैनात किया जाना है तो सक्षम स्तर के अनुमोदन के पश्चात तैनाती की जाए। ऐसे ही प्रकरणों में यदि किसी कार्मिक को स्थानान्तरित कर तैनात किया जाना है तो मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त तैनाती आदेश निर्गत किए जाएं।
2. समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप ही स्थानान्तरण किया जाए।
3. जनपद स्तर पर जो विद्यमान नियम है, उसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-18/2022/47-4001(099)/2/2022-1/3/96, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in